

तारीख हुक्म

24⁰⁵/₁₈ वकील वादीगण उप. पत्रावली वास्ते
होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दिनांक
को पेश हो।

17⁰⁶/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-16/07/19 को पेश हो।

16⁰⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-30/07/19 को पेश हो।

30⁰⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-16/08/19 को पेश हो।

16⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-21/08/19 को पेश हो।

21⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-25/09/19 को पेश हो।

25⁰⁹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठारीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-07/10/19 को पेश हो।

07¹⁰/₁₉

वकील वादीगण उप. तहसीलदार खपना से
प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पूर्व में जप्त

विस्तृत विभाजन उस्ताव को अभिलेख पर लिखा
जाता है। वकील वादीगण ने तहसीलदार खैर
में आरम्भिक डिक्री की पालना में उपाय
विस्तृत विभाजन उस्ताव से सहमति ज़ाहिर
करते हुए मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव
अन्तिम डिक्री फ़ारमों का निर्बंदन किया
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकोर्ड, पैराग्राफ राजस्व एवं तहसीलदार खैर
में आरम्भिक डिक्री की पालना में उपाय विस्तृत
विभाजन उस्ताव का अवलोकन किया गया
जिसे अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार
किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में
स्वीकार किया जाता है तथा उक्त में घोषणा
इस आशय की जारी की जाती है कि:-

आदेश

वादीगण का वाद मुताबिक विस्तृत विभाजन
उस्ताव अन्तिम वर्षण डिक्री किया जाता है।
विस्तृत विभाजन उस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग
होगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव राजस्व
रेकोर्ड में समस्त इरायद हो। तदनुसार पचास
डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा बाद तलमल दाखिल
दफ़तर हो। निर्णय ख़ुले न्यायालय में सुनाया
गया।

for
10/19

अक्तिम - डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक जजलर फास्ट ट्रेक मुकाम उदेल
 ब इजलास श्री राजीत सिंह, RAS

दावा बावत ① गोपाल * वनाम ① जगदीश *

घोषणा, तलाक़ा व ल्यायी निषेधाता

मुकद्दमा नं. 02 सन 2019

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री राजीत सिंह, RAS

ब हाजिरी श्री राजेंद्र कुमार मीणा गिनजानिब मुद्दई रुबरु
 गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वदीगण का वाद मुताकिम विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अक्तिम लपेण डिक्री
किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अक्तिम डिक्री का भाग
हैगा। मुताकिम विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रकॉर्ड में
अमल दामद हो।

गिन मुबल्लिग बावत
 खाना मुकद्दमें के गय सूद नशरह फीसदी गानना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 बसवत मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 10 सन 2019 को
 जारी की गई।

Dr
 दरस्तखत
गौहद

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					

* पुत्र डूंगाराम ② माली देवी पत्नी गौपाल समस्त जाति जाट
 निवासी ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)
 - वादीगण

कनाम
 * ② इंदाराम ③ मुतारी पुत्रगण हर्देवाराम ④ मूलचन्द
 ⑤ घोसा पुत्रगण हनुमान ⑥ चासीराम पुत्र डूंगाराम
 ⑦ कौंदाराम पुत्र किशना ⑧ महावीर पुत्र सुण्डाराम
 ⑨ पतासी पत्नी नानूराम ⑩ भोगीराम ⑪ सुवलाल पुत्रगण नानूराम
 ⑫ कमला देवी पत्नी रामेश्वलाल ⑬ जगदीश ⑭ सुश
 ⑮ महेन्द्र ⑯ हरीसिंह ⑰ सुभाष ⑱ देवेंद्र पुत्रगण रामेश्वलाल
 ⑲ सजना पुत्री रामेश्वलाल ⑳ टीनू कुमारी पुत्री रामेश्वलाल
 नवालि जीयें अकृतिक संदका माता कमला देवी
 पत्नी रामेश्वलाल ।
 समस्त जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील खण्डेला
 जिला सीकर (राज०)।

① भूमिधारी तहसीलया खण्डेला जिला सीकर (राज०)
 ② मैनजर BRKAB बैंक शाखा कावडी ।
 ③ मैनजर PNB बैंक शाखा कावडी ④ मैनजर SBI शाखा फरसाना
 ⑤ मैनजर BOB शाखा रिंगस ।

- उत्तिवादीगण
 Dr
 १.१०